अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करी गैंग के 02 सदस्य 05 किलो 386 ग्राम नाजायज अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 1 करोड 6 लाख 75 हजार) व परिवहन मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार ।

शासन द्वारा मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डा0 ओ0पी0 सिहं के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी विसौली श्री पवन कुमार के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज व चौकी प्रभारी वगरैन की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 5 किलो 386 ग्राम नाजायज अफीम एवं परिवहन मे प्रयुक्त एक न्यु बुलैरो गाडी रंग काला बिना नम्बर के साथ गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है ।

घटनाक्रम

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक वजीरंगज धनंन्जय कुमार पाण्डेय व चौकी प्रभारी बगरैन दिनेश तिवारी के नेतृत्व मे देर रात क्षेत्र भ्रमण एवं रात्रि गस्त के दौरान सैदपुर करेंगी रोड नवनिर्मित कोल्टस्टोर कतगाँव के पास से मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर नाका बन्दी कर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को माल सप्लाई के लिये जाते समय परिवहन मे प्रयुक्त एक न्यु बुलैरो गाडी रंग काला बिना नम्बर व मादक पदार्थ 5 किलो 386 ग्राम नाजायज अफीम जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 1 करोड 6 लाख 75 हजार रुपये है के साथ पकडा गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना वजीरंगज पर मु0अ0स0 401/22 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त इन्द्रपाल की पत्नी गीता देवी मूल रुप से भीर की बस्ती मधेपुरा जनपद मधेपुरा बिहार की रहने वाली है तथा इसकी यह दूसरी शादी है दोनो के नुत्फे से कोई संतान नही है । महिला अपने पति के साथ मायके जाकर समय समय पर मधेपुरा से एक व्यक्ति जिसका नाम बासदेव है उससे मादक पदार्थ प्राप्त कर ट्रेन एवं रोडवेज के माध्यम से यहां लाकर सप्लाई का काम करते हैं । विगत कुछ दिन पहले धनतेरस के अवसर पर इस काम हेतु प्रयोग करने के लिये दोनो पति पत्नी ने खुद की चार पहिया वाहन खरीदा है जिससे की माल सप्लाई आसानी से हो सके । इसके पूर्व भी यह दोनो पति पत्नी थाना डिवीजन न0 2 जिला लुधियाना पंजाब मे डेढ किलो हिरोईन की तस्करी मे पकडे जा चुके हैं जहां पर यह दोनो 6 माह जेल मे रहें है । वर्ष 2005 मे अभियुक्त इन्द्रपाल एनडीपीएस के मामले मे ही थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर से एवं

आर्म्स एक्ट एंव अन्य मामले मे थाना सिरौली जनपद बरेली से जेल जा चुका है । अभियुक्त इन्द्रपाल के परिवार मे इसके अलावा चार भाई हैं जिसमे एक की मृत्यु हो चुकी है सभी अलग अलग घर बनाकर रहते हैं एवं खेती बाडी का कार्य करते हैं । अभियुक्त इन्द्रपाल दिखावे के रुप मे बीज की दुकान गाँव मे ही खोल रखा है किन्तु इसका मुख्य व्यवसाय अफीम एंव डोडा की तस्करी का है । अभियुक्ता का मायके मे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है एक भाई जो अविवाहित है एवं मानसिक रुप से कमजोर है गाँव मे मजदूरी करता है। अभियुक्त एंव अभियुक्ता के मोबाईल व व्हाट्सएप पर कुछ संदिग्ध नम्बर व फोटो ग्राफ प्राप्त हुये हैं जिनकी गहनता से जाँच कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण

1. श्रीमती गीता पत्नी इन्द्रपाल नि0 ग्राम गिरधरपुर थाना सिरौली जिला बरेली ।

2. इन्द्रपाल पुत्रस्व0 बद्री सिंह ठाकुर नि0 ग्राम गिरधरपुर थाना सिरौली जिला बरेली।

बरामदगी का विवरण

1- उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण के पास से नाजायज अफीम 5 किलो 386 ग्राम जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 01 करोड 6 लाख 75 हजार रुपये है ।

2- घटना मे परिवहन मे प्रयुक्त एक न्यु बुलैरो गाडी रंग काला बिना नम्बर बरामद ।

गिरफ्तारी स्थल

सैदपुर करेंगी रोड नवनिर्मित कोल्टस्टोर कतगाँव के पास समय रात्री करीब 22.40 बजे दिनांक 03.11.2022

अपराध करने का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्तगण मुख्य रुप से मादक पदार्थ सप्लाई का काम करते है। परिवहन मे किसी को शक न हो या पुलिस न रोके इसलिये गाडी मे महिला और पुरुष तथा कभी कभी बच्चे लेकर साथ मे चलते है । अक्सर इनका सप्लाई का कार्य रात्रि मे स्वंय के वाहन से ही होता है । अभियुक्तगण दोनो रिस्ते मे पति पत्नी है इसके पूर्व यह दोनो थाना डिवीजन न0 02 जिला लुधियाना पंजाब से हीरोईन के साथ पकडे जाने पर 06 महीने जेल मे रहे हैं । अभियुक्ता का मायका जनपद मधेपुरा बिहार है जहाँ से झारखण्ड के गैंग द्वारा मादक पदार्थ प्राप्त कर ट्रेन व बसो के माध्यम से लाकर सप्लाई का कार्य किया जाता है । अभियुक्त थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर से एनडीपीएस

एवं थाना सिरौली जनपद बरेली से शस्त्र अधिनियम एवं अन्य प्रकरण मे जेल जा चुका है । मादक पदार्थ के प्राप्त होने के श्रोत की जानकारी गहनता से की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त इन्द्रपाल

a- मु0अ0स0 124/97 धारा 324/504/506 आईपीसी थाना सिरौली जनपद बरेली ,

b- मु0अ0स0 07/98 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरौली जनपद बरेली,

c- मु0अ0स0 107/09 धारा 18/61/85 एनडीपीएस एक्ट थाना डिवीजन न0 02 जिला लुधियाना पंजाब ,

d- मु0अ0स0 401/22 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ ।

अभियुक्ता गीता

a- मु0अ0स0 107/09 धारा 18/61/85 एनडीपीएस एक्ट थाना डिवीजन न0 02 जिला लुधियाना पंजाब ।

b- मु0अ0स0 401/22 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी की टीम

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धनंन्जय कुमार पाण्डेय

2.उ0नि0 श्री दिनेश तिवारी चौकी इंचार्ज बगरैन

3.उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिहं चौकी इंचार्ज रेहडिया

4.हे0का0 चालक कृष्ण अवतार

5.का0 1882 हितेश प्रेमी

6.का0 1701 तपन धामा

7.का0 1642 अंकित कुमार

8.का0 1590 नितिन कुमार

9.का0 2112 अनुज भाटी

10 का0 1368 अंकित कुमार

11.का0 1022 संजीव कुमार

12.का0 1589 रोहित कुमार

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूँ ।